न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1064 / 2021
अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र गोकलराम जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. राजू पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 2/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा अरड़की के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32 / 30 के ख0न0 368 की 6.4750 हैक्ट ख0न0 381 / 2 की 2.6810 हैक्ट, ख0न0 463 की 1.1630 हैक्ट ख0न0 464 / 2 की 4.9950 हैक्ट ख0न0 467 की 1.1510 हैक्ट भूमि कुल 16.4650 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि धर्मपाल की है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो वादी का दादा गोकुलराम की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले धर्मपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गयी। जबकि उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 जो धर्मपाल के वारिस है का भी धर्मपाल के साथ बहिब हक हिस्सा है। जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर जमाबंदी में धर्मपाल के साथ वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिस पर वादी का जन्म से हक हिस्सा है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से इन्कार किया इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को सम्यक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्धएकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन मे नवीनतम जमाबंदी, पर्चा खतौनी रोही मौजा अरड़की सम्वत 2029–38, सरपंच ग्राम पंचायत अरड़की द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा अरड़की के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/30 के ख0न0 368 की 6.4750 हैक्ट ख0न0 381/2 की 2.6810 हैक्ट, ख0न0 463 की 1.1630 हैक्ट ख0न0 464/2 की 4.9950 हैक्ट ख0न0 467 की 1.1510 हैक्ट भूमि कुल 16.4650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पंच वार्ड 10 द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण तथा पत्रावली में दर्शाये गये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/30 की कुल 16.4650 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि धर्मपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/1/24........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1064 / 2021
अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र गोकलराम जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. राजू पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री धर्मपाल जाति नायक निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1064 सन 2021 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32 / 30 की कुल 16.4650 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि धर्मपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:54 IST
Reason: SelfAttested